

राजस्थान सरकार  
पशुपालन विभाग

क्रमांक:-एफ.वी.1(2)(2)/योजना/बजटघोषणा./2020-21/ दिनांक  
निदेशक  
पशुपालन विभाग,  
जयपुर।

विषय :- संस्था विहिन ग्राम पंचायतों में नवीन पशु चिकित्सा उपकेन्द्र खोलने के संबंध में।

संदर्भ :- बजट घोषणा 2020-21 एवं शासकीय स्वीकृति क्रमांक एफ.वी.1(2)(2)/योजना/ बजटघोषणा/2020-21/5940 दिनांक 17.08.2020 एवं 6448, दिनांक 16.10.2020

उपरोक्तानुसार विषयान्तर्गत लेख है कि बजट घोषणा के बिन्दु संख्या-28 की अनुपालना में वित्तीय वर्ष 2020-21 में 200 नवीन पशु चिकित्सा उपकेन्द्र संस्था विहिन ग्राम पंचायतों में खोले जाने हैं। इस संबंध में निम्नलिखित 14 नवीन पशु चिकित्सा उपकेन्द्र को खोले जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है :-

क्रम संख्या	जिला	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	ग्राम का नाम जंहा नवीन पशु चिकित्सा उपकेन्द्र खोला जाना है।
1	बांसवाडा	छोटी सरवन	कुडल	कुडल
2	बांसवाडा	बांसवाडा	विडियापाडा (गाँधीनगर)	विडियापाडा (गाँधीनगर)
3	बांसवाडा	गनोडा	दौलत सिंह का गडा	दौलत सिंह का गडा
4	बांसवाडा	घाटोल	नरोतों की गोज	नरोतों की गोज
5	उदयपुर	खेरवाडा	परबीला	परबीला
6	प्रतापगढ	अरनोद	बेडमा	बेडमा
7	प्रतापगढ	अरनोद	रायपुर	रायपुर
8	डूंगरपुर	डूंगरपुर	काकरादरा	काकरादरा
9	डूंगरपुर	डूंगरपुर	चकमहुडी	चकमहुडी
10	झुन्झुनु	सिंघाना	सिलारपुरी	रायपुर जाटान
11	अलवर	कठूमर	कुट्टीन साहबदास	कुट्टीन साहबदास
12	अलवर	रामगढ	जातपुर	मीणापुरा
13	नागौर	नागौर	साडोकन	साडोकन
14	हनुमानगढ	पीलीबंगा	डबली बास कुतुब	डबली बास कुतुब

उक्त स्वीकृति वित्त विभाग की आई.डी संख्या 152000473 दिनांक 06.08.2020 के द्वारा प्राप्त सहमति के आधार पर जारी की गयी है।

जिन स्थानों पर पूर्व में एकीकृत पशुधन विकास केन्द्र स्वीकृत है, उन्हें सम्बन्धित जिला संयुक्त निदेशक जे.के. ट्रस्ट के प्रतिनिधी से चर्चा कर अन्य संस्था विहिन ग्राम पंचायत में स्थानान्तरित कर निदेशालय को सूचित करावें।

उक्त स्थानों पर नवसृजित उपकेन्द्रों के उपयोग हेतु राजकीय भवन की अनुपलब्धता की स्थिति में भवन की निःशुल्क सुविधा स्थानीय निकाय/संस्थाओं/जनप्रतिनिधियों/स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा उपलब्ध करवाना अनिवार्य है।


— 54 —

(डा.विरेन्द्र सिंह)

संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:—एफ.वी.1(2)(2)/योजना/बजट घोषणा./2020-21/1137-37 दिनांक 31.3.2021  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री महोदय, कृषि, पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. निदेशक वित्त (बजट), वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. मुख्य लेखाधिकारी, पशुपालन निदेशालय, जयपुर।
8. रक्षित पंजिका।


  
संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार

निदेशालय पशुपालन विभाग

क्रमांक:—एफ.वी.1(2)(22)/योजना/बजट घोषणा./2019-20/1138-62 दिनांक 01.04.2021  
प्रतिलिपि :—निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, निदेशक, निदेशालय पशुपालन विभाग।
2. अतिरिक्त निदेशक, उत्पादन/स्वास्थ्य/फार्म एवं सम्पदा/दवा प्रकोष्ठ/मोनिटरिंग, निदेशालय पशुपालन विभाग।
3. अतिरिक्त निदेशक (क्षेत्र), बीकानेर/उदयपुर/जयपुर/अजमेर पशुपालन विभाग।
4. संयुक्त निदेशक, बांसवाडा/उदयपुर/प्रतापगढ/डूंगरपुर/झुन्झुनु/अलवर/नागौर/हनुमानगढ पशुपालन विभाग, को प्रेषित कर लेख है कि यह सुनिश्चित कर ले कि उक्त केन्द्रों से संबन्धित ग्राम पंचायत क्षेत्र के किसी भी ग्राम में पूर्व से कोई विभागीय संस्था स्वीकृत नहीं है।
5. संयुक्त निदेशक सांख्यिकी/प्रजनन एवं गौशाला निदेशालय पशुपालन विभाग।
6. उप निदेशक विस्तार/कम्प्यूटर शाखा निदेशालय पशुपालन विभाग।
7. प्रभारी संस्थापन ब-2, संख्याबल, निदेशालय पशुपालन विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त निदेशक(योजना)